

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 62/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक- 174, दिनांक- 31.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक भृगु राम हाजरा, पिता- स्व० मोतीलाल हाजरा, साकिम- पण्डुकी, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- काशीटॉड़, मौजा नं०- 93, पुराना खाता सं०- 23, पुराना प्लॉट सं०- 741, नया खाता सं०- 95, नया प्लॉट सं०- 728, रकवा- 08 डिसमील भूमि क्रेता छोटी कुमारी, पति- गगन कुमार, साकिम- नियर लाल बंगला, लोयाबाद कोक प्लांट, बाँसजोरा, पो०- बाँसजोरा, थाना- लोयाबाद, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के दुसाध है तथा विक्रेता थाना- बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना- लोयाबाद, जिला- धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास उक्त खाता में 2.96 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
भूमि सुधार उप समाहता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहता,
धनबाद।